

पुस्तक.

श्री सुबोध सिन्हा,  
विशेष शिक्षक,  
उत्तर प्रदेश विद्यालय ।

लेखा नं.

श्री 171  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विशेष विभाग-2, नया दिल्ली,  
श्री 171, नया दिल्ली ।

विद्यालय 171 नया दिल्ली

दिनांक 31 मार्च 2000

विषय:- कुशाग्र विद्यालय स्कूल नवीनीकरण को सीमावर्तीकरण में दिवसीय लेखा नं. 171 के माध्यम से अनुदानित पुस्तकें का दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे बात कहने का मित्रता हुआ है कि कुशाग्र विद्यालय स्कूल नवीनीकरण, लेखा नं. सीमावर्तीकरण में दिवसीय लेखा नं. 171 के माध्यम से अनुदानित पुस्तकें का दिये जाने हैं इस राज्य सरकार को विद्यालयीय पुस्तकालयों के स्वीकृत उपकरणों में है:-

- 111) विद्यालय की संशुद्ध नवीनीकरण का तय-तय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 122) विद्यालय की पुस्तकें विद्यालय विद्यालय द्वारा प्राप्त कर तदनुसार दी जायेंगी ।
- 133) विद्यालय में कम से कम एक पुस्तकालय स्थापित अनुदानित बाकि/अनुदानित वस्तुओं के अर्थों में किरी पुस्तकें रखी जाएं उन्हे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तय किये विद्यालयों में विद्यमान आधारों के विषे विद्यमान अनुदानित उपकरणों में किया जायेगा ।
- 144) लेखा द्वारा राज्य सरकार से दिवसीय अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से माध्यमता प्राप्त है तथा विद्यालय की तत्कालीन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/विशेष विभाग द्वारा दिए अनुदानित स्कूल नवीनीकरण द्वारा विद्यालय नवीनीकरण में प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा से उक्त केन्द्रीय शिक्षा परिषद की तत्कालीन प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नया अनुदान तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा प्राप्त हो जायेगी ।
- 156) लेखा परिषद में विद्यालयीय अर्थकारियों को राज्यीय तदनुसार प्राप्त विद्यालय लेखाकारों के अर्थकारियों को अनुदानित वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं से कम विलम्बान तथा अन्य वस्तुओं दिये जायेंगे ।
- 166) अर्थकारियों को लेखा नं. 171 के माध्यम से प्राप्त और उन्हें तदनुसार प्राप्त अर्थकारियों के अर्थकारियों की अनुदानित वस्तुओं में विद्यमान का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

H.R. Singh  
MANAGER  
KRISHNA PUBLIC SCHOOL  
JATOLI BYE PASS KANKERKHERA  
MEERUT

Principal  
KRISHNA PUBLIC SCHOOL  
JATOLI BYE PASS KANKER KHERA  
MEERUT

- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे तैय्या उनका पालन करनी ।
- 18। विद्यालय का रिपोर्ट निर्धारित पत्र/परिष्कारों में रखा जायेगा ।
- 19। उन-गतियों के जो राज्य सरकार के बुकानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिषदीय नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैय्या के लिये अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह बात सामने आये कि तैय्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूठ या विचलितता करती या करती है तो राज्य सरकार द्वारा बुद्धिमत्त अनुचित प्रमाण पर ध्यान से किया जायेगा ।

भवदीय,

। तैय्या के लिये ।  
विशेष अधिकारी ।

सूचना- 687 111/15-7-2000, अतिरिक्त

प्रतिबन्ध निम्नांकित की सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- सहायक संचालक शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, अग्रिम कारकीर्ण विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, कृष्णा पब्लिक स्कूल ग्राम खडौली, बाईपास रोड मेरठ ।

भवदीय,

। तैय्या के लिये ।  
विशेष अधिकारी ।

H.F. V.

MANAGER

KRISHNA PUBLIC SCHOOL  
JATOLI BYE PASS KANKERKHERA  
MEERUT

Sharma

Principal

KRISHNA PUBLIC SCHOOL  
JATOLI BYE PASS KANKER KHERA  
MEERUT